

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2013/आषाढ 6, 1935

No. 177]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2013/ASADHA 6, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2013

फा. सं. पी. 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई.- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 5 दिसंबर, 2012 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की अधिसूचना सं. पी. 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 29 नवंबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक जनता से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 दिसंबर, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

## विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, "वसा तेल और वसा मिश्रण" से संबंधित विनियम 2.2 में,-

(क) "अंतः एस्टरित वनस्पति वसा" से संबंधित उप विनियम 2.2.2 में- (i) "आवश्यक रूप से उदासीन खाद्य तेल या वसा, एकल या मिश्रित रूप में अंतःस्टरण प्रक्रिया द्वारा" शब्दों के पश्चात् "एंजेमेटिक प्रक्रिया या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपखंड (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अंतर्वस्तु पार वसायुक्त अम्ल, भार के अनुसार दस प्रतिशत से अनधिक";

(ख) "मारगारीन और वसा स्प्रेड" से संबंधित उपविनियम 2.2.5 के खंड 2 के उपखंड (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) पार वसीय अम्ल, भार के अनुसार दस प्रतिशत से अधिक नहीं"।

- (ग) "हाइड्रोजनित वसा तेल" से संबंधित उप विनियम 2.2.6 में,-

(i) खंड (1) में,-

(अ) "किसी भी रूप में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से" शब्दों के पश्चात् "रसायन या एंजेमेटिक अंतःएस्टरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) मद (प) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प. खाद्य प्रयोजनों के लिए आयातित वनस्पति तेल

फ. ताड़ स्टेरिन";

(इ) उपखंड (vii) में, मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(ख) पार वसीय अम्ल, भार के अनुसार दस प्रतिशत से अधिक नहीं";

(ii) खंड (2) में उपखंड (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) पार वसीय अम्ल, भार के अनुसार दस प्रतिशत से अधिक नहीं";

कै. चन्द्रमौली, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असाधा./187/13]

पाद टिप्पण:-खाद्य सुरक्षा मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 1 अगस्त, 2011 में अधिसूचना फा.सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2013

**F. No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI.**—Whereas a draft of certain regulations to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 were published, as required by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Food Safety and Standards Authority of India) No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 29<sup>th</sup> November, 2012 in the Gazette of India, Extraordinary, in Part-III, Section 4, dated 5<sup>th</sup> December, 2012, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification was published and made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5<sup>th</sup> December, 2012;

And whereas objections or suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

**Regulations**

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2013.  
(2) They shall come into force after the expiry of sixty days from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to "FATS, OILS AND FAT EMULSIONS",—
  - (a) in sub-regulation 2.2.2 relating to 'Interesterified Vegetable Fat', -(i) in the opening paragraph, after the words "interesterification of the essentially neutral edible oil or fat, singly or in mixtures generally through", the words "enzymatic process or" shall be inserted;  
(ii) in sub-clause (v) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-  
"Trans fatty acids, not more than ten per cent by weight";
  - (b) in sub-regulation 2.2.5 relating to 'MARGARINE AND FAT SPREADS', in clause 2, for sub-clause (ii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-  
" (ii) Trans fatty acids, not more than ten per cent by weight";
  - (c) in sub-regulation 2.2.6 relating to 'HYDROGENATED VEGETABLE OILS',-
    - (i) in clause 1,-  
(A) after the words "a process of hydrogenation in any form", the words "or chemical or enzymatic interesterification" shall be inserted;  
(B) for item u, the following shall be substituted, namely:-  
"u. Vegetable oils imported for edible purposes  
v. Palm Stearin";

(C) in sub-clause (vii) for item (b) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“(b) Trans fatty acids, not more than ten per cent by weight”.

(ii) in clause (2), for sub-clause (a) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“(a) Trans fatty acids, not more than ten per cent by weight”;

K. CHANDRAMOULI, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/EXTY./187/13]

**Foot Note :—**The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 1st August, 2011 vide notification F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2013

फा0 सं0 पी0 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई.- खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 6 दिसंबर, 2012 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की अधिसूचना सं0 पी0 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 29 नवंबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक जनता से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 6 दिसंबर, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

### विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2013 है ।  
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में, -  
(क) विनियम 2.2 में, 'पूर्व-पैक किए गए खाद्यों पर लेबल लगाना' से संबंधित उप विनियम 2.2.2 के खंड 3 के उपखंड (v) में, परंतुक से पहले मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
“ (iv) हाइड्रोजनित वनस्पति तेल सहित, खाद्य वनस्पति तेल, वसा और घोषित शेल्फ लाइफ सहित प्रसंस्कृत और पैक किए गए खाद्यों के लेबल पर निम्नलिखित घोषणा होगी :  
(i) कुल पार वसा अंतर्वस्तु, भार के अनुसार..... प्रतिशत से अनधिक  
(ii) कुल संतृप्त वसा अंतर्वस्तु, भार के अनुसार..... प्रतिशत से अनधिक”;

(ख) विनियम 2.4 में 'खाद्य तेल और वसा पर लेबल लगाना' से संबंधित **उप-विनियम 2.4.2 के खंड 4 में उप-खंड (ख)** के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) अंतर्वस्तु पार वसा युक्त अम्ल, भार के अनुसार..... प्रतिशत से अनधिक, और

संतृप्त वसा युक्त अम्ल, भार के अनुसार प्रतिशत.... से अनधिक" ।

के. चन्द्रमौली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[ विज्ञापन III/4/असाधारण/187/13 ]

पाद टिप्पण :-खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 1 अगस्त, 2011 में अधिसूचना फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2013

F. No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI.—Whereas a draft of certain regulations to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 were published, as required by clause (k) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Food Safety and Standards Authority of India) No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 29th November, 2012 in the Gazette of India, Extraordinary, in Part-III, Section 4, dated 6th December, 2012, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification was published and made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 6th December, 2012;

And whereas objections or suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 23 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, namely :—

### Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2013.  
(2) They shall come into force after the expiry of sixty days from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011,—
  - (a) in regulation 2.2, sub-regulation 2.2.2 relating to 'Labelling of Pre-packed Foods', in clause 3, in ~~sub-clause (v)~~, after item (iii), before the proviso, the following shall be inserted, namely :—
 

“(iv) Edible vegetable oils, fats including hydrogenated vegetable oils, and processed and packaged foods with declared shelf life will have the following declaration on the label :

    - (i) Total trans fat content not more than ----- per cent by weight
    - (ii) Total saturated fat content not more than ----percent by weight”;
  - (b) in regulation 2.4, sub-regulation 2.4.2. relating to 'Labelling of edible oils and fats', in ~~clause 4, sub-clause (b)~~, the following shall be inserted, namely :—
 

“(c) contains trans fatty acids not more than --- per cent by weight, and

2833 GI/13-2

saturated fatty acids not more than ---- per cent by weight”.

K. CHANDRAMOULI, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./187/13]

**Foot note :—**The Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 1st August, 2011 *vide* notification F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011.